

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु-8/2014/


जयपुर, दिनांक 2.05.2016

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 2.5.2016 (सोमवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गये:-

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु आवंटित 27 जिलों में नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों में से 14 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में संबंधित जिले से टिप्पणी प्राप्त कर कार्यवाही प्रस्तावित करें। प्रत्येक माह की 3 तारीख को नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों की बैठक इस माह आयोजित नहीं की गई है, आयोजित की जाए।
(एसई, आईएवाई)
2. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना की वेब साईट में आने वाली कुछ मामलों में तकनीकी कठिनाईयों का निराकरण वेब साईट डवलपर्स से कराया जाए।
(परि०निदेशक एसएपी-1 एवं 11)
3. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु एमपी लैंड योजना में 169 कार्यों एवं बीएडीपी योजना में लगभग 25 कार्यों की सूची थर्ड पार्टी को निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी है। एक संस्था द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, शेष से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु स्तरण पत्र दिया जाए।
(परि०निदेशक एसएपी-1 एवं 11)
4. थर्ड पार्टी निरीक्षण के दौरान ध्यान में लाये जाने वाले अनियमित कार्यों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे, जिसमें राशि की वसूली एवं अनुशासनिक कार्यवाही शामिल है।
(एसई, आईएवाई)
5. प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में वाटरसैड के पुराने रिकार्ड के संबंध में बैठक आयोजित की जाए, जिसमें आयुक्त एवं शासन सचिव पंचायतीराज, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त वाटरसैड को आमंत्रित किया जाए। एजेण्डा तुरंत तैयार कर अनुमोदन करायें।
(सं.शा.सचिव. प्रशासन)
6. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले 45 विकास अधिकारियों को चार्जशीट पंचायतीराज विभाग द्वारा दे दी गयी है। प्रगति संबंधी सचूना पंचायतीराज विभाग से प्राप्त करें।
(सं.शा.सचिव, प्रशा.)
7. आवास योजना
 - अन्य चिन्हित वर्ग के लिए आवास योजना में प्रथम किश्त वर्ष 2015-16 की लगभग 100 की पैडिंग है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी किया जाए।
 - वर्ष 2015-16 में कुल 3047 स्वीकृतियों में से 2946 को प्रथम किश्त, 20 को द्वितीय किश्त एवं 1 को तृतीय किश्त जारी की गयी है। इसमें रिव्यू किया जाए।
 - अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों का निर्धारण कर दिया गया है। जिलों को राशि रिलीज की जा रही है। लॉटरी की प्रक्रिया पुनः की जाए।

- आवास योजना में वर्ष 2015-16 में कुल 84964 स्वीकृतियों में से 79615 को प्रथम किश्त, 8383 को द्वितीय किश्त तथा 383 को तृतीय किश्त जारी हुई है। इसका रिव्यू किया जाए।
 - ग्राम सेवकों को मोबाईल एप संचालन हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड भारत सरकार से जनरेट कराकर जिला को उपलब्ध कराये जाए।
 - जिला बाडमेर में पुराने आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु जिला कलक्टर को लिखा जाए जिसका रिव्यू प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा जिले की बैठक में किया जाएगा।
 - अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर का निर्धारण जिला दर निर्धारण समिति से करवाकर श्रम विभाग को अवगत कराया जाए। इस संबंध में बैठक की तिथि निर्धारित कर बैठक करवाई जाए। (एसई,आईएवाई)
8. मुख्य मंत्री कार्यालय को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में अद्यतन प्रगति से अवगत कराते हुए वर्ष 2016-17 में नयी ग्राम पंचायतों के चयन करने के संबंध में पत्रावली प्रस्तुत की जाए।
 एमएजीपीवाई योजना में सफलता की कहानी नहीं भिजवाने वाले जिला कलक्टर को नोटिस जारी किया जाए तथा सफलता की कहानी भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाए। सफलता की कहानी की बुक दस दिवस में छपवाई जाए। (पीडी,एसएपी-1)
9. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना में वर्ष 2016-17 के लिए 50 करोड रूपये के प्रावधान हेतु पत्रावली वित्त विभाग को भेजी गई है तथा वर्ष 2015-16 की प्रगति से अवगत कराये। (परि०निदे०एसएपी-1)
10. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि से 4 प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण आरएसएलडीसी द्वारा किये जाने की प्रगति एवं आरएसएलडीसी के पास प्रशिक्षण मद से 4 करोड का व्यय नहीं किये जाने की समीक्षा की जाए। इस हेतु आरएसएलडीसी को पत्र लिखा जाए। (पीडी एसएपी-11)
11. विधान सभा प्रश्न का निस्तारण अभियान के तौर पर एक सप्ताह में पूर्ण कराये। (सं०शा०सचिव, प्रशासन/पीडी/योजना प्रभारी)
12. विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2014-15 व 2015-16 की 25000 से अधिक कार्यों की यूसी/सीसी का समायोजन शेष है, इसे कराया जाए। (एसई, आईएवाई, वित्तीय सलाहकार)
13. 100 से अधिक बंद पडी योजनाओं की सूची वित्तीय सलाहकार द्वारा तैयार कर ली गई है। यह राशि जिलों से प्राप्त कर वित्त विभाग को जमा करवाई जाये। (वित्तीय सलाहकार)
14. महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर राज्य प्रवृत्तित योजनाओं में यथा डांग, मगरा, मेवात, गुरु गोलवलकर, एमएलए लैंड, स्व-विवेक के योजनावार राज्य स्तरीय बैंक में खाते खोले जावे। इस संबंध में वित्त विभाग में प्रकरण विचाराधीन है। अतः नवीनतम प्रगति से अवगत करावे।
 वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा के सहयोग से एसबीबीजे के साथ साथ बैंक ऑफ बडोदा से इस सप्ताह में चर्चा कर सॉफ्टवेयर बनाया जाए। महात्मा गांधी नरेगा योजना में किये जा रहे सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए ग्रामीण विकास की योजनाओं हेतु सॉफ्टवेयर तैयार



कराया जाए। इस संबंध में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की जाये।


(वित्तीय सलाहकार)

15. डांग, मगरा, मेवात, श्री योजना में 3 प्रतिशत प्रशासनिक मद की जिसमें सर्वे कार्य कराया जाना है, RGPSA से प्राप्त की जानी है।
(पीडी एसएपी-1/ प्रभारी श्री योजना ग्रा.वि)
16. मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाए—
 1. डांग, मगरा, मेवात से 20 प्रतिशत राशि दिये जाने की समीक्षा के लिए पत्रावली मा0 मंत्री महोदय को भिजवायी जाए जिसमें यह निर्णय लिया जाना है कि वर्ष 2016-17 में एमजेएसए के लिए राशि उपलब्ध करायी जानी है अथवा नहीं।
(पीडी, एसएपी-1)
 2. शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग कोटा संभाग के प्रभारी है। संभाग के जिलों की प्रगति समीक्षा प्रभारी श्री योजना द्वारा की जाएगी। इसके लिए उनके द्वारा मैनपावर लिया जायेगा।
(पीडी, एसएपी-1, श्रीयोजना)
17. मैशन ट्रेनिंग आईएवाई से करवाने हेतु राजीविका को पत्रावली प्रस्तुत कर दी गयी है। प्राप्त टिप्पणी के आधार पर ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुत करें। राजीविका को भूमिहीन महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही करें।
(एसई, आईएवाई)
18. सीएसआर के लिए आयुक्त, उद्योग विभाग को भेजे गये पत्र की अनुपालना प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जाए। इस हेतु स्मरण पत्र जारी किया जाए।
(पीडी एमएण्डई)
19. कॉमन रिव्यू कमेटी का समस्त कार्य संयुक्त शासन सचिव, प्रशासन द्वारा देखा जाएगा।
(सं0शा0सचिव, प्रशा.)
20. वर्ष 2016-17 के लिए विभागीय योजनाओं का जिलेवार आवंटन आईडब्ल्यूएमएस सोफ्टवेयर पर डाला जाए। स्वविवेक, बीएडीपी का आवंटन डाला जाना अपेक्षित है।
(योजना प्रभारी)
21. गत पीआरसी की बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हो गया है उनकी अनुपालना रिपोर्ट तैयार की जाए।
(पीडी एमएण्डई)
22. डीआरडीए प्रशासन में कम राशि प्राप्त हुई है। 40 करोड की कमी चल रही है इसके लिए भारत सरकार व वित्त विभाग को पत्र लिखवाया जाए।
23. सभी योजना प्रभारी अपने परियोजना अधिकारी को सप्ताहिक बैठक में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें।
(समस्त योजना प्रभारी)
24. जैसेन्दर स्टेशन बाडमेर की विजिट इसी माह की जाए।
(पीडी, एसएपी-1-1, वित्तीय सलाहकार)
25. डांग, मगरा, मेवात योजना का वार्षिक प्लान 10.5.2016 तक तक बनाया जाए।
(पीडी, एसएपी-1)
26. सीएमआईएस पर दर्ज बजट घोषणा, मुख्यमंत्री निर्देश, सुराज संकल्प के संबंध में प्रत्येक बैठक में रिव्यू किया जाएगा।
(समस्त योजना प्रभारी)




27. विभाग की जानकारी में लाया गया है कि पंचायत समितियों में पदस्थापित विकास अधिकारियों द्वारा योजनाओं में करवाये गये कार्यों के जारी किये जाने वाले पूर्णता प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर/प्रति हस्ताक्षर किये जा रहे हैं जो उचित नहीं हैं। अतः इस संबंध में एक विस्तृत परिपत्र जारी किये जावे।

(एसईआईवाई)


परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी-1/ मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी-11) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)